भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

12.02.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3474

मेघालय में यूरेनियम भंडार

3474. श्री विन्सेंट एच. पाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मेघालय में यूरेनियम उपलब्धता की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूरेनियम स्त्रोतों को किस प्रकार नियंत्रित/दोहन किया जा रहा है कि ये निजी हाथों में न चले जाएं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी है कि मेघालय राज्य से अवैध रूप से यूरेनियम स्त्रोत बाहर ले जाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय

(श्री वी. नारायणसामी)

(क) जी, हाँ।

(ख) मेघालय राज्य में यूरेनियम स्त्रोतों की डोमियासियात, वाखेन, लॉस्टॉयन, गोमाघाट-फ्लांगडिलॉयन और तिरनई में उपलब्धता, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के एक संघटक यूनिट परमाण खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), द्वारा सुनिश्चित की गई है। वाहकुट और उमथांगकुट, यूरेनियम स्त्रोतों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, स्वदेशी यूरेनियम भंडारों के खनन तथा संसाधन का कार्य वाणिज्यिक स्तर पर करने वाली एकमात्र एजेन्सी है। परमाणु ऊर्जा (खान, खनिज कार्यकरण और विहित पदार्थ उठाई-धराई) नियम, 1984 के उपबंध के साथ पठित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन निहित उपबंधों के अनुसरण में, यूरेनियम जोकि एक विहित पदार्थ है, के हस्तन के लिए कोई प्राइवेट पार्टी प्राधिकृत नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के मद्दे नजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

****